सुमेरपुर (पाली)

राजस्व लोक अदालत केम्प वर्ष-2017

राजस्व विविध सं. 51/2014 चुन्नीदेवी बनाम तलसाराम वगैरा
प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर.टी.एक्ट,1955 एवं
सपठित आदेश-39, नियम-1 व 2 सी.पी.सी.

दिनांक 11.07.2017

यह पत्रावली राजस्व लोक अदालत अभियान "न्याय आपके द्वार" वर्ष 2017 के दौरान केम्प–अटल सेवा केन्द्र अनोपपुरा में बरोज आज पेश हुई। पक्षकार उपस्थित। हमने, लोक अदालत की मंशा के अनुरूप सुलभ न्याय दिलाने हेतु पक्षकारों की दलील को सुना, साथ ही पत्रावली पर उपलब्ध तमाम रेकर्ड इत्यादि का अवलोकन व परीक्षण किया। प्रश्नगत् मामले में वर्णित वाद–विषयक स्थिति एवं पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य– दस्तावेजात इत्यादि पर मनन व विचारण करने के पश्चात् हमारी विधिक राय है कि तहसील सुमेरपुर में स्थित सरहद मौजा अनोपपुरा में स्थित वादग्रस्त कृषि भूमि हाल खसरा नं. 11, 11/333, 12, 16, 17 कुल रकबा 5.62 हेक्टर, मौजा सरहद बिठुडा में स्थित कृषि भूमि हाल खसरा नं. 323/1677, 1027, 1027, 1064, 1107 कुल रकबा 4.93 हेक्टर व सरहद मौजा भाचुन्दा में स्थित वादग्रस्त कृषि भूमि हाल खसरा नं. 2067, 2080, 2097, 2108 कुल रकबा 5.19 हेक्टर के बारे में वर्तमान राजस्व रेकर्ड एवं मौका स्थिति को विचारार्थ मूल राजस्व वाद सं. 62/2014 के निस्तारण होने तक यथावत् बनाये रखने हेतु दोनों पक्षकारों को पाबंद करते हुए अस्थाई निषेधाज्ञा जारी करना उचित समझते है।

लगातार–

उपखण्ड अधिकारी
सुमेरपुर (पाली)

Scanned by CamScanner

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	हुक्म तामील नंबर व तारीख

वर्ष 2017

राजस्व विविध स. 51/2014 चुन्नीदेवी बनाम: तलसाराम वगैरा
प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर.टी.एक्ट,1955 एवं
सपठित आदेश–39, नियम–1 व 2 सी.पी.सी.

अतः उल्लेखित विश्लेषण व विवेचित तथ्यों के परिणामतः प्रार्थीनी का यह प्रार्थना पत्र विरूद्ध अप्रार्थीगण के कतिपय प्रावधानों के तहत आंशिक रूप से स्वीकार किया जाकर तहसील सुमेरपुर में स्थित सरहद मौजा अनोपपुरा में स्थित वादग्रस्त कृषि भूमि हाल खसरा नं. 11, 11/333, 12, 16, 17 कुल रकबा 5.62 हेक्टर, मौजा सरहद बिठुडा में स्थित कृषि भूमि हाल खसरा नं. 323/1677, 1027, 1027, 1064, 1107 कुल रकबा 4.93 हेक्टर व सरहद मौजा भाचुन्दा में स्थित वादग्रस्त कृषि भूमि हाल खसरा नं. 2067, 2080, 2097, 2108 कुल रकबा 5.19 हेक्टर के बारे में वर्तमान राजस्व रेकर्ड एवं मौका स्थिति को विचारार्थ मूल राजस्व वाद सं. 62/2014 के निस्तारण होने तक यथावत् बनाये रखने हेतु दोनों पक्षकारों को पाबंद करते हुए अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की जाती है। उक्त अस्थाई निषेधाज्ञा से दोनों पक्षकारान पाबंद रहेंगे, सूचित रहे। यह आदेश बरोज आज दिनांक 11.07.2017 को राजस्व लोक अदालत केम्प–अटल सेवा केन्द्र अनोपपुरा में सुनाया गया। पत्रावली फैसल में शुमार होकर नंबर से कम हो एवं संबंधित मूल वाद पत्रावली राजस्व वाद सं. 62/2014 के साथ नत्थी हो।

उपखण्ड अधिकारी
सुमेरपुर (पाली)

उपखण्ड अधिकारी सुमेरपुर (पाली) (राजस्थान)

Scanned by CamScanner